उत्तर प्रदेश सरकार

कृषि अनुभाग – 1,

संख्या : 958/12-1-95

लखनऊ : दिनांक मार्च 31, 1995

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उ.प्र. कृषि समूह "ख" सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश कृषि समूह "ख" सेवा नियमावली 1995

भाग – एक : सामान्य

1. **संक्षिप्त नाम :**

1. यह नियमावली उत्तर प्रदेश कृषि समूह "ख" सेवा नियमावली 1995 कही जायेगी ।

2. यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

2. **सेवा की प्रास्थिति :**

उत्तर प्रदेश समूह "ख" सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें समूह "ख" के पद समाविष्ट हैं ।

3. **परिभाषाएं :**

जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में –

क. "परिशिष्ट" का तात्पर्य इस नियमावली के परिशिष्ट से है,

ख. "नियुक्त प्राधिकारी" का तात्पर्य राज्यपाल से है,

ग. "भारत का नागरिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

घ. "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है,

ड.. "संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है,

च. "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

छ. "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

ज. "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों, के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है,

झ. "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश कृषि समूह "ख" सेवा से है,

ञ. "अधीनस्थ सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा से है,

ट. "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो,

ठ. "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है ।

भाग – दो : संवर्ग

4. सेवा का संवर्ग :

1. सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय ।

2. जब तक उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाएं सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, मैदानी संवर्ग के लिए जैसी परिशिष्ट "क" में दी गयी है और पर्वतीय उप संवर्ग के लिए जैसी परिशिष्ट "ख" में दी गयी है, के अनुसार होगी; परन्तु

क. नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या

ख. राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझे ।

3. सेवा में विभिन्न पद अनुभागों में विभाजित होंगे जैसा कि परिशिष्ट "क" और परिशिष्ट "ख" में प्रदर्शित है ।

भाग – तीन : भर्ती

5. भर्ती का स्रोत :

सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती परिशिष्ट "क" और परिशिष्ट "ख" में उनके सामने विनिर्दिष्ट स्रोतों से की जायगी ।

6. आरक्षण :

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।

7. राष्ट्रीयता :

भाग – चार : अर्हताएं

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी –

क. भारत का नागरिक हो, या

ख. तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

ग. भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगान्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप–महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाणपत्र प्राप्त कर लें :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले ।

टिप्पणी :

ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाणपत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय ।

8. शैक्षिक अर्हतायें :

सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास परिशिष्ट "क" और परिशिष्ट "ख" में पदों के सामने प्रदर्शित शैक्षिक अर्हतायें होनी चाहिए ।

9. अधिमानी अर्हतायें :

किसी अभ्यर्थी को जिसमें –

एक. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

दो. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो,

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा ।

10. आयु :

सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि उस कलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की जाय, इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और बत्तीस वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो;

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय ।

11. चरित्र :

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके ।

टिप्पणी :

संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे । नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे ।

12. वैवाहिक प्रास्थिति :

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसमें ऐसे पुरुष से विवाह किया जो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो ।

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं ।

13. शारीरिक स्वस्थता :

किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक

कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किए जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद द्वारा परीक्षण में सफल पाया जाय।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाणपत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग – पाँच भर्ती की प्रक्रिया

14. रिक्तियों का अवधारण :

नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली अनुभागवार रिक्तियों की संख्या और नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली, प्रत्येक अनुभाग में, रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

15. सीधी भर्ती की प्रक्रिया :

1. प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे।

2. किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।

3. आयोग, लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने और सारिणीबद्ध करने के पश्चात् नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग द्वारा इस संबंध में निर्धारित स्तर तक पहुँचे हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जायेंगे।

4. आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जितने वह नियुक्ति के लिए उचित समझे, संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। सूची में नामों

की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25% से अनधिक) होगी । आयोग, नियुक्ति प्राधिकारी की अनुभागवार सूची अग्रसारित करेगा ।

16. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया :

पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर समय-समय यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए नियमावली 1992 के अनुसार की जायेगी ।

परन्तु यदि इस प्रकार गठित चयन समिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों से प्रत्येक के व्यक्तियों को सम्मिलित नहीं करती है, तो समूह "क" पद धारण करने वाले किसी ऐसी जाति/जनजाति के अधिकारी को, जो चयन समिति में प्रतिनिधित्व न रखता हो, सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जायेगा ।

17. संयुक्त चयन सूची :

यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो सम्बद्ध अनुभाग के सम्बन्ध में एक संयुक्त चयन सूची, सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम ऐसी रीति से लेकर तैयार की जायेगी कि निहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा ।

भाग – छः : नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18. नियुक्ति :

1. उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर जिसमें यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गई सूचियों में आये हों, नियुक्ति करेगा ।

2. जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हो वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी जब तक दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय ।

3. यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किए जांए तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख, यथा स्थिति, चयन में यथा अवधारित या जैसा कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय, ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा । यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की

जाय तो नाम नियम–17 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे ।

19. **परिवीक्षा** :

1. सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा ।

2. नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय ।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी ।

3. यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं ।

4. उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा ।

5. नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या अन्य उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है ।

20. **स्थायीकरण** :

1. उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि –

क. उसका कार्य या आचरण सन्तोषप्रद बताया जाय,

ख. उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

ग. नियुक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है ।

2. जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों का स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्ध

के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक न हो तो वहां उस नियमावली के नियम 5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा ।

21. ज्येष्ठता :

किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी ।

भाग – *सात*: वेतन इत्यादि

22. वेतनमान :

1. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए ।

2. इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान परिशिष्ट "क" और परिशिष्ट "ख" में दिये गये हैं ।

23. परिवीक्षा अवधि में वेतन :

1. फन्डामेन्टल रूल्स के किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि यह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो, और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो ।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ।

2. ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा ।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्त प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ।

3. ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

24. **दक्षता रोक पार करने का मानदण्ड :**

किसी भी व्यक्ति को दक्षता रोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आवरण संतोषजनक न पाया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

भाग –आठः अन्य उपबन्ध

25. **पक्ष समर्थन :**

सेवा या पद के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा । किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा ।

26. **अन्य विषयों का विनियमन :**

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे ।

27. **सेवा की शर्तो में शिथिलता :**

जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों को सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू होने वाले नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो से अधीन रखते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण नीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभियुक्त या शिथिल कर सकती है ।

परन्तु उस नियम की अपेक्षाओं को शिथिल या अभियुक्त करने से पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा ।

28. **व्यावृत्ति :**

इस नियमावली को किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनकी इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों को अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो ।

आज्ञा से,
रमेश यादव
सचिव ।

परिशिष्ट "क"

मैदानी संवर्ग

(नियम 4(2), 4(3), 5, 8 और 22(2) देखिये)

क्रम सं.	विभाग का नाम	पद का नाम	पदों की संख्या स्थायी	अस्थायी	योग	भर्ती का स्रोत	शैक्षिक अर्हता	वेतनमान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	विकास	1. जिला कृषि अधिकारी	47	8	55	1. पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा 2. पचास प्रतिशत चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता	2200-75-2800-द.रो.-100-4000 रुपये
		2. सहायक कृषि निदेशक (नियोजन) मुख्यालय	1	–	1			
		3. सहायक कृषि निदेशक (नियोजन) टी.एण्ड वी.	–	3	3			
		4. कृषि अधिकारी (बीज) मुख्यालय	1	–	1			
		5. सहायक कृषि निदेशक (सोयाबीन) मुख्यालय	–	1	1			
		6. तिलहन प्रसार अधिकारी मुख्यालय	1	–	1			
		7. सहायक कृषि निदेशक (सूर्यमुखी) मुख्यालय	–	1	1			
		8. सहायक कृषि निदेशक (पैकेज) मुख्यालय	1	–	1			
		9. सहायक कृषि निदेशक (आपूर्ति) मुख्यालय	1	–	1			
		10. सहायक कृषि निदेशक (कृषि प्रसार)	–	2	2			

परिशिष्ट "ख"

पर्वतीय उप संवर्ग

(नियम 4(2), 4(3), 5, 8 और 22(2) देखिये)

क्रम सं.	विभाग का नाम	पद का नाम	पदों की संख्या स्थायी	अस्थायी	योग	भर्ती का स्रोत	शैक्षिक अर्हता	वेतनमान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	विकास	1. जिला कृषि अधिकारी (देहरादून, उत्तरकाशी)	1	1	2	1. पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता ।	2200-75-2800-द.रो.-100-4000 रुपये
		2. सहायक कृषि निदेशक, (नियोजन) अपर कृषि निदेशक, मुख्यालय	–	1	1	2. पचास प्रतिशत चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।		
		3. फार्म प्रबन्ध अधिकारी, नैनीताल	1	–	1			
		4. सहायक कृषि निदेशक, (सोयाबीन) हल्द्वानी (नैनीताल)	–	1	1			
		5. भूमि संरक्षण अधिकारी	3	8	11			
		6. प्राविधिक अधिकारी उप कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण) मुख्यालय	1	–	1			
		7. प्रभारी अधिकारी, भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र	1	–	1			
		योग	7	11	18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	पौध संरक्षण	1. पौध संरक्षण अधिकारी	2	6	8	1. पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।	अनिवार्य : भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान या पौध रोग विज्ञान या पौध रोग विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ एम.एस–सी. (वनस्पति विज्ञान) या कीट विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ एम.एस–सी. (प्राणि विज्ञान) में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता ।	2200–75–2800–द.रो.–100–4000 रुपये
		2. सहायक कृषि निदेशक (पौध संरक्षण) निगरानी	–	2	2	2. पचास प्रतिशत चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।	अधिमानी : भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान में या पौध रोग विज्ञान में पीएच.डी. की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता ।	
		योग	2	8	10			
3.	रसायन विज्ञान	1. सहायक मृदा रसायनज्ञ हल्द्वानी	1	–	1	1. पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।	अनिवार्य : भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से कृषि रसायन विज्ञान, मृदा विज्ञान या मृदा संरक्षण में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता ।	2200–75–2800–द.रो.–100–4000 रुपये
		2. सहायक कृषि निदेशक (मृदा परीक्षण और प्रदर्शन) सम्भागीय मृदा परीक्षण केन्द्र प्रयोगशाला रुद्रपुर और पौड़ी	2	–	2	2. पचास प्रतिशत चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।		
		3. सहायक मृदा रसायनज्ञ अल्मोड़ा	–	1	1			
		योग	3	1	4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							अधिमानी : भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि रसायन विज्ञान या मृदा विज्ञान या मृदा सरक्षण में पी–एच.डी. की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता ।	
4.	वनस्पति विज्ञान	1. सहायक अर्थ वनस्पति विज्ञानी, सम्भागीय कृषि प्रशिक्षण और प्रदर्शन केन्द्र	1	–	1	1. पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।	अनिवार्य : भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या आनुवंशकीय के साथ पौध प्रजनन या अनुवंशकीय में विशेषज्ञता के साथ वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या वन विद्या में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त कोई अर्हता ।	2200–75–2800–द.रो.–100–4000 रुपये
		2. सहायक कृषि निदेशक एवं प्रभारी अधिकारी, संभागीय कृषि और प्रदर्शन केन्द्र, चिन्याली सोड़, उत्तर काशी	–	1	1	2. पचास प्रतिशत चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।		
			1	1	2		अधिमानी : भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ऊपर उल्लिखित विषयों में पी–एच.डी. उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त कोई अर्हता ।	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	शस्य विज्ञान	1. सहायक शस्य विज्ञानी सम्भागीय कृषि परीक्षण और प्रदर्शन केन्द्र	1	–	1	1. पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।	अनिवार्य : भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से शस्य विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता ।	2200-75-2800-द.रो.-100-4000 रुपये
		योग	1	–	1	2. पचास प्रतिशत चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।	अधिमानी : भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से शस्य विज्ञान में पी-एच.डी. उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता ।	
6.	सांख्यिकी	1. सांख्यिकी अधिकारी	–	2	2	1. पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।	अनिवार्य : भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता ।	2200-75-2800-द.रो.-100-4000 रुपये
		योग	–	2	2	2. पचास प्रतिशत चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।	अधिमानी : सरकारी आंकड़ों और उनके निर्वचन में पांच वर्ष का अनुभव ।	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से गणित/ सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकीय/कृषि सांख्यिकी में पी–एच.डी. उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त कोई अर्हता । संगणक प्रोग्रामिंग और पी.सी.ए.टी./एक्स.टी. के संचालन का ज्ञान ।	
7.	अभियंत्रण	1. भूमि संरक्षण अधिकारी	3	8	11	1. पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा । 2. पचास प्रतिशत चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।	अनिवार्य : भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि अभियंत्रण में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता । अधिमानी : भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि अभियंत्रण में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता ।	2200–75–2800–द.रो.–100–4000 रुपये
		2. प्राविधिक अधिकारी, उप कृषि निदेशक, (भूमि संरक्षण) मुख्यालय	2	–	2			
		3. प्रभारी अधिकारी भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र	1	–	1			
		4. सहायक कृषि अभियन्ता (प्रसार)	2	–	2			
		योग	8	8	16			

(रमेश यादव)
सचिव

मुद्रक : प्रसार शिक्षा एवं प्रशिक्षण ब्यूरो, कृषि विभाग, 9, विश्व विद्यालय मार्ग, लखनऊ ।